न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्याम सिंह शेखावत, आर.ए.एस
अपील संख्याः 30/2020

1. शंकरलाल
2. बाबूलाल
   पुत्र स्व. श्री बालूराम जाति रैगर निवासीः वार्ड नंबर 29, अम्बेडकर नगर मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

..... अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय डिक्री दिनांक 19.09.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 396/2013 उनवान बाबूलाल बनाम सरकार अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः
मुकेश शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण
जी.एल.मीना एडवोकेट
राजकीय अधिवक्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

निर्णय दिनांकः 06/10/21

:–निर्णय–:

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला जयपुर के निर्णय डिक्री दिनांक 19.09.2019 वाद पत्र संख्या 396/2013 बउनवानी बाबूलाल बनाम सरकार के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक आराजी खसरा नंबर 1040 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा ग्राम मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर की खातेदारी पूर्व में वादीगण के दादा जैता पुत्र किशना जाति रैगर के नाम थी तथा वादीगण के दादा जैता की मृत्यु के पश्चात् आराजी की खातेदारी वादीगण के पिता कालूराम पुत्र जैता जाति रैगर निवासीः मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर के नाम दर्ज हो गयी। साबिक आराजी खसरा नंबर 1040/5 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के हाल सेटलमेनट में नये खसरा नंबर 1567 कायम किये गये है व रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के स्थान पर 32 ऐयर कायम किये गये है जबकि साबिक रकबे 2 बीघा 2 बिस्वा के नयी नाप के अनुसार 52 ऐयर रकबा कायम किया जाना चाहिये था। वादीगण के दादा जैता व वादीगण का पिता बालूराम व उनकी मृत्यु के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

पश्चात् वादीगण पूर्व खातेदारी के अनुसार रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है लेकिन हाल सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा वादीगण की पूर्ण खातेदारी व कब्जे काश्त के विपरीत साबिक रकबे से 20 एयर की भूमि वादीगण के पिता बालूराम पुत्र जैताराम जाति रैगर के नाम कम दर्ज कर दी गयी तथा उक्त 20 एयर भूमि को वादीगण व उनके पिता बालूराम के कब्जे काश्त के विपरीत सिवायचक दर्ज कर उसका नया नंबर 1568 कायम कर दिया जबकि कानूनन सेटलमेन्ट कर्मचारियों को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के इस प्रकार की कार्यवाही का कोई अधिकार नहीं था उन्हे केवल पूर्व सेटलमेन्ट की इन्द्राज खातेदारी की पुनरावृत्ति करनी चाहिये थी। वादीगण द्वारा हाल सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा की गयी गलती को दुरूस्त करने का प्रतिवादी से कई बार निवेदन किया गया लेकिन वह टालमटोल करते रहे एवं कुछ दिन पूर्व उन्होने स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया है इस कारण वादीगण को यह वाद दुरूस्ती इन्द्राज, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। बालूराम पुत्र जैताराम के जीवित वारिसान में वादीगण के अलावा उनकी एक बहिन प्रेमदेवी भी है। प्रेमदेवी ने दिनांक 06.09.2013 को वादीगण के हक में अपने हिस्से का हकत्याग जरिय रजिस्टर्ड हक त्याग कर दिया इस कारण वादीगण अपने हक खातेदारी दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये अंत में यह अनुतोष चाहा है कि हाल आराजी खसरा नंबर 1567/0.32 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1568 में से 0.20 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादीगण को उनके कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि हाल आराजी खसरा नंबर 1567/0.32 हैक्टेयर व 1568 में 0.20 हैक्टेयर से वादीगण को बेदखल नहीं करे एवं शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी की बहस सुनकर बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 19.09.2019 के माध्यम से वादीगण वाद दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज फरमा दिया गया। विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का यह तथ्य साबित माना है कि हाल खसरा नंबर 1567 का रकबा 0.52 ऐयर के स्थान पर 0.32 ऐयर राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज किया गया है किन्तु यह तथ्य साबित नहीं माना कि 0.20 ऐयर भूमि जो कम दर्ज हुई है वह खसरा नंबर 1568 में शामिल हो गई है। अपीलार्थी द्वारा खसरा नंबर 1568 के साबिक खसरा नंबर 1040/2 एवं हाल खसरा नंबर 1568 के रकबा में बढोत्तरी को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना है। इस संबंध में निवेदन है कि यदि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को ओर साक्ष्य पेश करने के लिये कहा जाता तो वह साक्ष्य पेश कर सकता था। विधि अनुसार यदि किसी तनकी को वादी साबित न कर पाये तो उसे प्रतिवादी को साबित करना चाहिये। रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी स्वयं रिकॉर्ड होल्डर राज्य सरकार है जिनके पास समस्त रिकॉर्ड उपलब्ध है। विचारण न्यायालय को प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट को रिकॉर्ड पेश करने के लिये आदेशित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

किया जाकर दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट से रिकॉर्ड प्राप्त न कर गलत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर, विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.09.2019 खारिज फरमाया जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अभिभाषक अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष यह तथ्य साबित करने में असक्षम रहा है कि 0.20 ऐयर कम भूमि खसरा नंबर 1568 साबिक खसरा नंबर 1040/2 में सम्मिलित हुई है। खसरा नंबर 1568 के साबिक नक्शे व वर्तमान नक्शे के अवलोकन से भी यह तथ्य साबित नहीं होता है। वाद को साबित करने का भार वादी पर होता है किन्तु अपीलार्थी/वादी न तो यह साबित कर पाया कि 0.20 ऐयर भूमि खसरा नंबर 1040/2 में सम्मिलित हुई है एवं न ही यह साबित कर पाया कि 0.20 ऐयर भूमि किस खसरा नंबर में सम्मिलित होकर किस खातेदार के नाम दर्ज हुई है। विचारण न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी/वादी का वाद सही रूप से खारिज किया है। अतः अपील अपीलान्ट आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

4. अभिभाषक पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। अपील मीमों एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 के निर्णय के निष्कर्ष में यह तथ्य अंकित किया है कि खसरा नंबर 1040/5 से हाल खसरा नंबर 1567/0.32 हैक्टेयर बरामद होना प्रमाणित है जबकि मैट्रिक प्रणाली से साबिका रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का हाल रकबा 52.5 एयर बनता है जिसके मुताबिक वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी में हाल खसरा नंबर 1567/0.32 हैक्टैयर अर्थात 20.5 ऐयर भूमि कम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना प्रकट होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि वादी का कम रकबा हाल खसरा नंबर 1568/0.63 हैक्टेयर के रकबे में सम्मिलित कर राजकीय भूमि सिवायचक गलत रूप से दर्ज कर दी गई है किन्तु मिलान क्षेत्रफल से हाल खसरा नंबर 1568/0.63 हैक्टेयर साबिक खसरा नंबर 1040/2 से बरामद होना प्रमाणित होता है, उक्त साबिक खसरा नंबर 1040/2 का साबिक कुल रकबा कितना था इस सम्बन्ध में कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज पेश नहीं किया है जबकि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज सत्यप्रति मिलान क्षेत्रफल जो उप तहसीलदार, उप तहसील मनोहरपुर से प्राप्त किया हुआ है, में खसरा नंबर 1040/2 का नया नंबर 1571 कायम किया गया है जिसका रकबा 0.49 हैक्टेयर अंकित है जैसा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया है कि खसरा नंबर 1568 साबिक खसरा नंबर 1040/2 से कायम हुआ है किन्तु उक्त मिलान क्षेत्रफल से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि खसरा नंबर 1040/2 से दो खसरा नंबर क्रमशः 1040/2/2 जिसके नये खसरा नंबर 1568 रकबा 0.63 हैक्टेयर एवम् खसरा नंबर 1040/2/1 जिसके नये खसरा नंबर 1569 रकबा 0.02 हैक्टेयर कायम हुए है। इन नये कायम किये गये खसरा नंबरान् के रकबे का योग करने पर कुल रकबा 0.65 हैक्टेयर बनता है जबकि इनके मूल खसरा नंबर 1040/2 जिससे यह नये खसरा नंबरान् कायम हुए है, का रकबा 0.49 हैक्टेयर ही था जिससे स्पष्ट है कि नये कायम किये गये खसरा नंबर 1040/2/2 के पुर्नकायम किये गये खसरा नंबर 1568 एवम् खसरा नंबर 1040/2/1 के पुर्नकायम किये गये खसरा नंबर 1569 रकबा 0.02 हैक्टेयर में मूल खसरा नंबर 1040/2 से 0.16 हैक्टेयर भूमि बढी है, जिससे इस न्यायालय के स्तर पर यह कयास लगाया जा सकता है कि अब वादी/अपीलान्ट द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अपने वाद के माध्यम् से उसे घटे हुए रकबे का क्लेम जो खसरा नंबर 1568 में से किया गया है, उचित प्रतीत होता है किन्तु यह बढा हुआ रकबा 0.16 हैक्टेयर ही बनता है इसलिए उसके द्वारा क्लेम किये गये 0.20 हैक्टेयर रकबे में से 0.04 हैक्टेयर की पुष्टि होना अभी भी शेष रह जाता है कि वह किस खसरा नंबर के किस रकबे में समायोजित कर दिया गया है। इस सन्दर्भ में यहां यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि जब अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलार्थी का यह कथन सिद्ध माना था कि वादी/अपीलार्थी के खाते की आराजीयात पूर्व खसरा नंबर 1040/5 के मुकाबले नये खसरा नंबर 1567 में 0.20 हैक्टेयर आराजी कम दर्ज हुई है, तो इस विषय पर सम्बन्धित तहसीलदार को तलब कर इस विषय को स्पष्ट करवाया जा सकता था जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया जाकर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 19.09.2019 निरस्त किये जाना, न्यायोचित प्रतीत होता है।

5. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय एवम् डिक्री दिनांक 19.09.2019 खारिज किये जाते है। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी/वादी के कम हुए रकबे के सन्दर्भ में पुनः राजस्व रिकॉर्ड का विश्लेषण करते हुए उसमें उत्पन्न हुई भ्रान्ति को तहसीलदार शाहपुरा से स्पष्ट करवाकर, प्रकरण का पुनः निस्तारण किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 06/10/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर